-प्रेस नोट-

दिनांकः15.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड 01 शातिर हिस्ट्रीशीटर/गौकश अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिंदा/ 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 सुपर स्पलेण्डर मोटरसाइकिल व गौकशी के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की धरपकड हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनाँक 15 7.2025 को प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह मय फोर्स के ग्राम उसण्ड जाने वाले रास्ते पर चेकिंग कर रहे थे समय करीब 14:00 बजे उसंड की तरफ से एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिए संदिग्ध प्रतीत होने पर उनको रुकने का इशारा किया तो नही रुके और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करके नहर पटरी की तरफ भागे। थाना प्रभारी बेहट द्वारा पुलिस टीम के साथ बदमाशों का पीछा किया गया तो नहर पटरी पर कुछ दूरी पर जाकर मोटरसाइकिल स्लिप होकर गिर गई तथा दोनो बदमाश पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग मे एक बदमाश को पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसे मौके से गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार बदमाश का साथी फायरिंग करते हुए जंगलों की तरफ भाग गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **मोहसिन उर्फ बिल्सी पुत्र तासीन निवासी गांव ताजपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई। गिरफ्तार अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरार बदमाश की तलाश हेतु लगातार काम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार/घायल बदमाश **थाना बेहट का हिस्ट्रीशीटर अपराधी** तथा शातिर गौ तस्कर है, जिसके विरूद्ध **थाना बेहट व मिर्जापुर पर एक दर्जन से अधिक मुकदमें** दर्ज है। अभियुक्त के **कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा/01 खोखा कारतूस 315 बोर, सुपर स्पलेण्डर मोटरसाइकिल UP11BP0086 व गोकशी के उपकरण** बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0 309 /2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः-

गिरफ्तार / घायल बदमाश ने पूछताछ पर बताया कि में तथा मेरा एक साथी हम दोनों जंगल मे घूम रहे आवारा गौवंशो को पकड़कर काटना तथा उनका मीट बाजार मे बेचने का कार्य करते है जिससे हमें काफी लाभ हो जाता है। आज हम जंगल मे घूम रहे आवारा पशुओं की तलाश में जा रहे थे तभी पुलिस को देखकर हम पकड़े जाने के डर से पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर भागने लगे तभी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तथा मेरा एक साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने जो तंमचा मुझसे बरामद किया है उसे में अपनी आत्मरक्षा तथा लोंगों रौब गालिब करने के लिए अपने पास रखता हूँ.

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

मोहसिन उर्फ बिल्सी पुत्र तासीन निवासी गांव ताजपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमन्चे 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

- 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल
- गौकशी के उपकरण

अभियुक्त मोहसिन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 023/09 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 401/13 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 182/18 धारा- 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 155/19 धारा- 307 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 154/19 धारा- 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 214/20 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 033/23 धारा- 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0- 181/22 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0- 136/22 धारा- 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0- 411/23 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0सं0- 384/23 धारा- 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर
12. मु0अ0सं0- 001/24 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
13. मु0अ0सं0- 190/25 धारा- 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 680 भूपेन्द्र सिह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 1835 सन्दीप चिकारा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांक: 15.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग / गस्त के दौरान **02 वारंटी अभियुक्तगण 1. इशाक पुत्र वकील निवासी हबीबगढ थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 2656/2023 मु0अ0सं0 50/2023 धारा 366/420/467/471 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट व **अभियुक्त 2. डा0 करण सिंह गौतम पुत्र सुरेन्द्र सिंह गौतम निवासी 534 बेहट रोड बारात घर के पास चक सराये भारती थाना कोतवाली जनपद सहारनपुर** को सम्बंधित वाद स0 1837/2019 धारा 138 एनआई एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1- इशाक पुत्र वकील निवासी हबीबगढ थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

2- डा0 करण सिंह गौतम पुत्र सुरेन्द्र सिंह गौतम निवासी 534 बेहट रोड बारात घर के पास चक सराये भारती थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुबोध कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सुदेशपाल थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. है0का0 241 कपिल कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 865 अमितपाल थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक 15.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे मादक पदार्थो का व्यापार व इसमें संलिप्त अपराधियों की धरपरड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.07.2025 को गस्त व चैकिंग के दौरान थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 नशा तस्कर **अभियुक्त भूपेन्द्र शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी जनक नगर तकिया थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को कम्पनी गार्डन गेट नं0- 1 के सामने बेहट रोड थाना कोतवाली नगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 128/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम भूपेन्द्र शर्मा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि मै नशे का आदी हूँ। अपने नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा अपने शौक को पूरा करने के लिए आसपास के क्षेत्र से सस्ते दामो मे चरस खरीद कर यहाँ पर लोगो को बेंच देता हूँ और अपना नशा भी कर लेता हूं आज फिर मै चरस बेचने जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

भूपेन्द्र शर्मा पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी जनक नगर तकिया थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- कुल 150 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री विकास चारण मय थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 907 तरूण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. का0 1354 अभिषेक कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा अवैध असलाह रखने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दिनांक 14.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्त सादिक पुत्र शहजाद हाल निवासी ग्राम मानकमऊ बडे मदरसे के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर मूल निवासी सधोली हरिया थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को **दबनी कब्रिस्तान के खडंजे वाले रास्ते** से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **01 नाजायज चाकू** बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त सादिक उपरोक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर **मु0अ0सं0 216/2025 धारा 4/25 आर्मस एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त सादिक उपरोक्त ने बताया कि मैं यह चाकू लोगों में रोब गालिव करने के लिए रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- सादिक पुत्र शहजाद हाल निवासी ग्राम मानकमऊ बडे मदरसे के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर मुल निवासी सधोली हरिया थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री पंकज शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 960 सचिन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:15.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के कुल 2220/- रुपये बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 06.07.2025 को वादी श्री असगर पुत्र गेन्दा निवासी ग्राम माल्हामाजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण द्वारा वादी के ट्रेक्टर के बेटरा व साईलेन्सर चोरी कर ले जाने के संबंध मे थाना नकुड पर मु0अ0सं0 219/25 धारा (2)303भारतीय न्याय संहिता बनाम 1इस्तखार पुत्र . अबलीव एक अन्य व्यक्ति निवासीगण ग्राम मल्हामाजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा लूट/चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 15.07.2025 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्त **इस्तखार पुत्र अबली निवासी ग्राम मल्हामाजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को नसरूल्लागढ रोड पर स्थित ईदगाह के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के कुल 2220/- रुपये बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा (2)317बीएनएस की बढौत्तरी की गयी ।गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त इस्तखार उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं पढ़ा लिखा नही हूँ । मैने 6, 7 महीने पहले दिसम्बर के महीने में मैनें अपने गांव के ही रहने वाले असगर पुत्र गेन्दा के ट्रैक्टर से बैटरा व साईलेन्सर चोरी किया था घटना के समय असगर की आंख खुल गयी थी और उसने मुझे देख लिया था, और असगर ने मेरा पीछा भी किया था इसलिये मैं पकड़े जाने के डर से चोरी का बैटरा व साईलेशर जंगल में छुपाकर काम करने बाहर चला गया था। कुछ दिन पहले मैने वापस आकर वह बैटरा व साईलेन्सर एक राह चलते कबाड़ी को 3500/- रूपये में बेच दिया था कबाडी का नाम पता मैं नहीं जानता हूँ आपके द्वारा जो 2220 रूपये मुझसे बरामद किये है ये असगर के ट्रैक्टर से चोरी किये गये बैटरा व साईलेन्सर की बिक्री के बचे हुये है बाकी के रूपये मुझसे खर्च हो गये हैं। इस चोरी की घटना को मैनें अकेले ही किया था, मेरे साथ अन्य कोई व्यक्ति नहीं था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इस्तखार पुत्र अबली निवासी ग्राम मल्हामाजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर

अभियुक्त इस्तखार उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 8/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना नकुड।
2. मु0अ0सं0 336/22 धारा 380/411 भादवि थाना नकुड।
3. मु0अ0सं0 335/22 धारा 380/411 भादवि थाना नकुड।

बरामदगी का विवरणः-

कुल 2220/- रुपये नकद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री शौकीन खान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री ओमेन्द्र मलिक थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक 15-07-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मुकदमें में 01 अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 75 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा –

अवगत कराना है कि दिनांक 04.06.2022 को वादी श्री अंकित पुत्र अनिल निवासी रणखण्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अरविन्द पुत्र ईशम सिंह नि0 रणखण्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा वादी के पिता अनिल कुमार पर धारधार खंजर से वार करना जिससे वादी के पिता गम्भीर रूप से घायल हो जाने व डा0 द्वारा मृत घोषित करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0स0-357/2022 धारा 302,307 भादवि के पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-139/2022 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 15.07.2025 को अभियुक्त अरविन्द पुत्र ईशम सिंह नि0 रणखण्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर उपरोक्त को मु0अ0स0-357/2022 धारा 302,307 भादवि मे दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 75 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

शासकीय- अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री देवी दयाल शर्मा
विवेचक- निरीक्षक श्री प्रभाकर कैन्तुरा
पैरोकार- है0का0 180 कपिल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक 15-07-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा आर्म्स एक्ट के मामलें में अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 02 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 04.06.2022 को वादी निरीक्षक श्री प्रभाकर कैन्तुरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा अभियुक्त अरविन्द पुत्र ईशम सिंह नि0 रणखण्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर के कब्जे से एक अदद छुरी आला कत्ल बरामद करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0स0-358/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-141/2022 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एडीजे-देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 15.07.2025 को अभियुक्त अरविन्द पुत्र ईशम सिंह नि0 रणखण्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर उपरोक्त को मु0अ0स0-358/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे 03 वर्ष का साधारण कारावास व 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री देवी दयाल शर्मा
विवेचक- निरीक्षक श्री आनन्द पोसवाल
पैरोकार-है0का0 180 कपिल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।